

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
-----------------------	------------------------------------------

24-7-19 पत्रावली पेथ हुई बार-2 आवाज लगेवाले के उपरान्त भी अपीलान्त अथवा अपिचरिता अपीलान्त में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ऐसी स्थिति में न्यायालय उपर दखील करके न्यायालय द्वारा पु.नं. 98/2018 उनवानी सरकार बनाम रामदयाल में पारित निर्णय दिनांक 26-10-2018 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अदम्य दायरी एवं अदम्य पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल मुफार होकर नम्बर सऊम अकीनम्य न्यायालय का मूल रिफरि स्वनिवीय की प्राप्ति मिलवाई जाके पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख मण्डर हो। निर्णय आठ डिसें 24-7-19 का मेरे डाय लुके न्यायालय में सुझा गया।

जिला कलेक्टर
रीमा



14/1/19